

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थी/वादी

सुखाराम

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद

बनाम

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

रामप्यारी वगैरह

मुकदमा नं. 119/2020

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
23.03.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी गैर हाजिर। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 88, 53, 188 आरटीएक्ट 1955 के तहत दिनांक 24.09.2020 से तलबी हेतु न्यायालय में तलबी स्तर पर विचाराधीन है। वकील वादी के निवेदन पर वकील वादी को पूर्व में अनेक अवसर दिये गये थे परन्तु वकील वादी ने साबिका आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है। ना ही आज वकील वादी उपस्थित न्यायालय हुये है।</p> <p>अतः वादपत्र अधीन धारा 88, 188 एक्ट 1955 बावजूद हिदायत प्रतिवादीगण की तामील किये जाने संबंधी पर भी न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर आदेश-9 नियम-5 एवं बावजूद सूचना गैर हाजिर रहने पर अदम हाजरी व अदम तकमील में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">(दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p>	